समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र, सी.आर.सी. भोपाल

(राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान – एन आई एम एच आर, सीहोर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

विवरणिका (2026-28)

पता: पुनर्वास भवन, खजुरी कलां रोड, पिपलानी, भोपाल-462022 (मध्य प्रदेश)
वेबसाइट: **crcbhopal.nic.in** | दूरभाष : **0755-2685950** | ईमेल: **crcbhopal2011@gmail.com**

प्रस्तावना

समग्र क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र, भोपाल (जिसे सीआरसी-भोपाल के नाम से जाना जाता है) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर (मध्य प्रदेश) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत है, जो कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।

इस केंद्र का उद्देश्य संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। इस केंद्र की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य दिव्यांगजनों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का विकास करना और संसाधनों का सृजन करना है। यह राज्य के भीतर दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

सीआरसी, भोपाल भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), नई दिल्ली द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निम्नलिखित दीर्घकालिक (पूर्णकालिक) नियमित पाठ्यक्रम संचालित करता है:

- पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरपी) – 1 वर्ष
- विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता) (डी.एड. आईडीडी) – 2 वर्ष
- श्रवण भाषा और वाक में डिप्लोमा (डीएचएलएस) – 1 वर्ष
- भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में डिप्लोमा (डीआईएसएलआई) – 2 वर्ष

भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के बारे में

भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI, 1992) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJ&E), भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) के तहत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। आरसीआई (RCI) को आरसीआई अधिनियम 1992 के तहत पेशेवरों को विकसित करने और मानकों को बनाए रखने का अधिदेश (जनादेश) प्राप्त है, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं और सहायता को सुनिश्चित किया जा सके।

दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास को सुदृढ़ करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पेशेवर विकास करना आरसीआई का अधिदेश है। इसलिए, आरसीआई मानकीकृत पाठ्यक्रम विकसित करता है और मानव संसाधन विकास की निगरानी करता है, जो आरसीआई मान्यता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों (अर्थात प्रमाणपत्र से लेकर स्नातकोत्तर (मास्टर) स्तर के कार्यक्रमों) के लिए संचालित किए जाते हैं।

1. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी (पीजीडीआरपी) – 1 वर्ष

1.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के बारे में

दिव्यांगता, अक्षमता/क्षति, प्रतिबंधात्मक वातावरण और प्रेरणा की कमी के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। दिव्यांगता पुनर्वास को दिव्यांग व्यक्ति को प्रेरित करने और दिव्यांगता पुनर्वास कार्यक्रम में भागीदारी को सुगम बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर कार्य करना चाहिए। यह पाठ्यक्रम पुनर्वास मनोविज्ञान (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी) का प्रवेश स्तर है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य ऐसे पुनर्वास परामर्शदाता (रिहैबिलिटेशन काउंसलर्स) तैयार करना है, जो दिव्यांग व्यक्तियों की स्थितियों और आवश्यकताओं की समझ को बढ़ावा दें तथा आत्म-वकालत (स्व-वकालत) एवं समुदाय विकास मॉडल के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत, व्यावसायिक और शैक्षिक समायोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

> **यह अधिकतम *20* सीटों वाला *1* वर्षीय पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम इस केंद्र में वर्ष *2019* से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल की संबद्धता के साथ संचालित किया जा रहा है।**

1.2 उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम में, प्रशिक्षणार्थी निम्नलिखित व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करेंगे –

- पुनर्वास हस्तक्षेपों (rehabilitation interventions) और संचार कौशल का ज्ञान
- दिव्यांग व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने और उन्हें सहानुभूतिपूर्ण सहायता प्रदान करने का कौशल
- दिव्यांगता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श (counselling) के सिद्धांत और व्यवहार
- देखभाल करने वाले (केयरगिवर) के बोझ/तनाव को समझना और उसका समाधान करने के लिए हस्तक्षेप करना
- व्यावसायिक एवं शैक्षिक परामर्श कौशल
- मनोवैज्ञानिक रिपोर्टों को समझना व उनकी व्याख्या करना और परामर्श तथा उपचारात्मक प्रशिक्षण (remedial training) प्रदान करना
- दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार/नियोजन प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं और समुदाय के साथ संपर्क/समन्वय स्थापित करना

1.3 पात्रता

वे उम्मीदवार जिन्होंने निम्नलिखित में से किसी भी परीक्षा में कुल मिलाकर 55% या उससे अधिक अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50%) प्राप्त किए हैं और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की गई है, वे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं:

क) स्नातक डिग्री (नियमित माध्यम) जिसमें तीनों वर्षों में सामान्य मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम शामिल रहे हों। अथवा

ख) मनोविज्ञान की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर (मास्टर) डिग्री, चाहे वह नियमित माध्यम से हो या दूरस्थ माध्यम से। अथवा

ग) परामर्श मनोविज्ञान (कौंसलिंग साइकोलॉजी) में स्नातकोत्तर (मास्टर) डिग्री, चाहे वह नियमित माध्यम से हो या दूरस्थ माध्यम से।

1.4 परीक्षा

पीजीडीआरपी (PGDRP) की अंतिम परीक्षाएं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा आयोजित की जाती हैं।

1.5 शिक्षण/परीक्षा का माध्यम

अंग्रेजी

1.6 अध्ययन का स्वरूप

यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के निर्धारित पाठ्यक्रम और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार संचालित किया जाता है। पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक महीने की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी।

1.7 उपस्थिति

छात्रों को नियमित और समय का पाबंद होना चाहिए। बिना सूचना के छात्रों की अनुपस्थिति की अनुमति नहीं है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति संबंधित विश्वविद्यालय/आर.सी.आई. (R.C.I.) के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रतिशत (80%) से कम होती है, तो उसे अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

1.8 शुल्क संरचना

क्र. सं.	विवरण	कुल शुल्क (रुपये में)
1.	प्रवेश शुल्क (एक बार देय)	5,000
2.	शिक्षण शुल्क (प्रत्येक अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में देय)	15,000
3.	पुस्तकालय शुल्क (प्रत्येक अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में देय)	3,000
4.	कौशन मनी / जमानत राशि (पाठ्यक्रम के सफल समापन पर प्रतिदेय)	2,000
	कुल योग	**25,000**

***नोट:**

क) पंजीकरण/नामांकन/परीक्षा शुल्क आदि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल/आरसीआई (RCI), नई दिल्ली के मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त रूप से देय होंगे।

ख) छूट, वित्तीय लाभ और किसी भी अन्य शुल्क आदि मे बदलाव समय-समय पर संबंधित अधिकारियों / संस्थाओं एवं विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों के अधीन हैं।

1.9 विषय-वस्तु

यह एक वर्ष की अवधि का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है, जिसमें दिव्यांगता और पुनर्वास, दिव्यांगता में मनो-सामाजिक मुद्दे, पुनर्वास मूल्यांकन और परामर्श, तथा समुदाय आधारित पुनर्वास जैसे सैद्धांतिक विषय शामिल हैं। उपरोक्त विषयों पर आधारित पुनर्वास हस्तक्षेपों (इंटरवेशन्स) में व्यावहारिक कार्य इस प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र (कोर) है। इसमें संकाय (फैकल्टी) के अधीन किए गए कार्यों का रिकॉर्ड रखना शामिल होगा।

1.10 कार्यक्षेत्र/स्कोप

पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, पुनर्वास परामर्शदाता (रिहैबिलिटेशन काउंसलर) भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) में पंजीकृत होंगे और निरंतर पुनर्वास शिक्षा के माध्यम से समय पर अद्यतन (अपडेट) सुनिश्चित करेंगे। वे दिव्यांगता पुनर्वास, स्वास्थ्य देखभाल या श्रम एवं रोजगार क्षेत्र में सरकारी, गैर-सरकारी और निजी संगठनों में पुनर्वास परामर्शदाता या व्यावसायिक परामर्शदाता (वोकेशनल काउंसलर) के रूप में नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। वे पुनर्वास/नैदानिक मनोवैज्ञानिकों (क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट) से जुड़कर पेशेवर पुनर्वास परामर्शदाताओं के रूप में अभ्यास (प्रैक्टिस) कर सकते हैं।

1.11 चयन और प्रवेश

पीजीडीआरपी (PGDRP) पाठ्यक्रम में प्रवेश मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश पोर्टल, वेबलिंक: https://epravesh.highereducation.mp.gov.in/ के माध्यम से होता है, जहाँ प्रवेश के लिए दिशानिर्देश और समय-सारणी जारी की जाती है। सीटों का आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होगा। उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। चयनित उम्मीदवार एकमुश्त (लंपसम) पूरा शुल्क जमा करके अपनी सीट सुरक्षित करेंगे। एक बार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को पाठ्यक्रम छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार फिर भी किसी कारण से पाठ्यक्रम छोड़ना चाहता है, तो भुगतान किया गया कुल शुल्क और जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। छात्रों को केंद्र और/या विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों, शैक्षणिक समय-सारणी आदि का पालन करना होगा। जो छात्र अपर्याप्त उपस्थिति या अन्य अनुचित कारणों से पाठ्यक्रम के समापन पर प्रमाणन परीक्षाओं (सर्टिफाइंग एग्जाम्स) में शामिल नहीं हो सके, वे भी किसी भी शुल्क या जमा राशि की वापसी का दावा नहीं कर सकते। यह एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। इसलिए छात्र को शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी नौकरी को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. शिक्षा में डिप्लोमा-विशेष शिक्षा (बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता) – 2 वर्ष

2.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के बारे में

शिक्षा में डिप्लोमा-विशेष शिक्षा (बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता), जिसे डी.एड. एसपीएल. एड. (आईडीडी) [D.Ed. Spl. Ed. (IDD)] के रूप में जाना जाता है, आरसीआई (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त एक कार्यक्रम है।

शिक्षा में डिप्लोमा-विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम को दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक तैयार करने के लिए तैयार किया गया है, जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगताओं में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता (ID) के अतिरिक्त, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता (SLD) और ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) शामिल हैं। विशेष शिक्षक विभिन्न परिवेशों जैसे कि शीघ्र हस्तक्षेप (अर्ली इंटरवेंशन) केंद्रों, विशेष स्कूलों, प्री-स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों में कार्य कर सकते हैं।

ये केंद्र या स्कूल प्रकृति में विशेष या समावेशी हो सकते हैं। यह पाठ्यक्रम शिक्षकों को इस प्रकार भी तैयार करेगा जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर गृह-आधारित प्रशिक्षण या मिश्रित शिक्षण (ब्लेंडेड लर्निंग) के रूप में सहायता प्रदान कर सकें।

2.2 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के उद्देश्य

- विभिन्न दिव्यांगताओं और उनके प्रभावों की समझ विकसित करना;
- शिक्षार्थियों की सामान्य वृद्धि और विकास का ज्ञान होना तथा अधिगम (सीखने) और शिक्षा को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना;
- दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने वाले अंतर्निहित दर्शनों, विकासवादी पद्धतियों और नीतिगत प्रावधानों के प्रति जागरूक होना;
- शैक्षिक और अन्य संबंधित हस्तक्षेपों (इंटरवेंशन) की योजना बनाने के लिए विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना;
- विभिन्न पाठ्यचर्या रणनीतियों के प्रति जागरूक होना और उन्हें लागू करना;
- प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए विभिन्न शिक्षणशास्त्रीय (पेडागॉजिकल) दृष्टिकोणों को लागू करना;
- विभिन्न हस्तक्षेपों और उपचारात्मक (थैरेप्यूटिक) तकनीकों के उपयोग में सहायता प्रदान करना;
- उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले छात्रों की मदद के लिए उपयुक्त तकनीकों को लागू करना;
- समावेशी शिक्षा की अवधारणा, संरचना और सुगमकर्ताओं के बारे में समझ विकसित करना;
- दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में एक उत्प्रेरक के रूप में परिवार और समुदाय के महत्व तथा भूमिका को समझना।

2.3 रोजगार के अवसर

यह परिकल्पना की गई है कि यह कार्यक्रम पाठ्यक्रम पूरा होने पर शिक्षक-प्रशिक्षुओं के व्यावसायिक क्षितिज का विस्तार करेगा। वे विशेष स्कूलों, प्राथमिक स्तर पर समावेशी नियमित स्कूलों, शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों और प्री-स्कूल परिवेशों में कार्य करने के साथ-साथ उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की मदद के लिए गृह-आधारित शिक्षण कार्य करने के लिए भी सुसज्जित होंगे।

इन सभी परिवेशों में, जिन प्रशिक्षुओं ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, वे ऑनलाइन शिक्षण और सहायता सेवाएँ प्रदान करने में भी सक्षम और आत्मविश्वासी होंगे।

2.4 कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की अवधि

कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की अवधि 02 (दो) शैक्षणिक वर्ष होगी।

2.5 पद्धति

पाठ्यक्रम की पद्धति में व्याख्यान, प्रदर्शन, परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क), चर्चा, विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास परियोजनाओं का एक्सपोज़र दौरा, शिक्षण अभ्यास, सामुदायिक बैठकों, शिविरों और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भागीदारी शामिल हैं।

2.6 प्रवेश क्षमता

आरसीआई (RCI) के मानदंडों के अनुसार इस पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की प्रवेश क्षमता अधिकतम 35 सीटें होंगी।

2.7 पात्रता मानदंड

केंद्र/राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय (स्ट्रीम) में 50% अंकों के साथ 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार इस पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं।

हालाँकि, आरक्षित श्रेणियों के लिए अर्हता परीक्षा के अंकों के प्रतिशत में 5% की छूट का केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कड़ाई से पालन किया जाएगा।

2.8 प्रवेश

भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI), नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड (NBER) के दिशानिर्देशों के अनुसार।

2.9 शुल्क संरचना

पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का प्रति वर्ष शुल्क इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	प्रथम वर्ष शुल्क	द्वितीय वर्ष
1.	प्रवेश शुल्क (एक बार देय)	5,000	-
2.	शिक्षण शुल्क (प्रत्येक अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में देय)	15,000	15,000
3.	पुस्तकालय शुल्क (प्रत्येक अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में देय)	3,000	3,000
4.	कौशन मनी / जमानत राशि (पाठ्यक्रम के सफल समापन पर प्रतिदेय)	2,000	-
	कुल योग	**43,000**	

***नोट:**

क) पंजीकरण/नामांकन/परीक्षा शुल्क आदि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल/आरसीआई (RCI), नई दिल्ली के मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त रूप से देय होंगे।

ख) छूट, वित्तीय लाभ और किसी भी अन्य शुल्क आदि मे बदलाव समय-समय पर संबंधित अधिकारियों / संस्थाओं एवं विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों के अधीन हैं।

2.10 शिक्षा का माध्यम

शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा।

2.11 न्यूनतम उपस्थिति

सेमेस्टर/वर्ष के अंत की परीक्षाओं (सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों) में बैठने के लिए पात्र होने के लिए पूरे पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में अस्सी प्रतिशत (80%) न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य है।

2.12 परीक्षा योजना (SoE)

पाठ्यक्रम/कार्यक्रम समय-समय पर आरसीआई (RCI) की परीक्षा योजना (SoE) का पालन करेगा।

2.13 डिप्लोमा प्रदान करना

परीक्षा के परिणामों के आधार पर, सफल उम्मीदवारों को शिक्षा में डिप्लोमा-विशेष शिक्षा (बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता) प्रदान किया जाएगा।

2.14 चयन और प्रवेश के लिए पात्रता

आरसीआई (RCI), नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार (https://rehabcouncil.nic.in/)

3. डिप्लोमा इन हीयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस) - 1 वर्ष

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के बारे में

यह केंद्र भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त एक दीर्घकालिक, पूर्णकालिक, नियमित डीएचएलएस पाठ्यक्रम संचालित करता है। इस केंद्र के पूर्व छात्रों को सरकारी, गैर-सरकारी और निजी संगठनों में नौकरियां मिली हैं।

वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में, केंद्र अधिकतम 30 सीटों के साथ 1 वर्ष की अवधि का डीएचएलएस नियमित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें वाक-भाषा थेरेपी (स्पीच-लैंग्वेज थेरेपी) प्रदान करने, संचार विकारों (कम्युनिकेशन डिसऑर्डर) से पीड़ित व्यक्तियों की शीघ्र पहचान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने, संचार विकारों की रोकथाम पर समुदाय के सदस्यों को शिक्षित करने, बुनियादी श्रवण परीक्षण (ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग) करने और ग्रामीण, ब्लॉक/तालुका तथा शहर के स्तर पर श्रवण बाधितों को सलाह देने के लिए बुनियादी कौशल से लैस करना है। वे पूरी तरह से प्रशिक्षित स्नातक या स्नातकोत्तर वाक एवं श्रवण चिकित्सक (स्पीच एंड हीयरिंग क्लीनिशियन) के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।

3.2 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के उद्देश्य वाक एवं श्रवण थेरेपिस्टों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो:

- संचार विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को बुनियादी नैदानिक सेवाएं - मूल्यांकन और प्रबंधन प्रदान कर सके,
- प्रबंधन से संबंधित बुनियादी वाक, भाषा और श्रवण मूल्यांकन कर सके,
- संचार दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की रोकथाम और शीघ्र पहचान के बारे में जनता के सदस्यों को शिक्षित कर सके,
- बुनियादी श्रवण परीक्षण संचालित कर सके,
- श्रवण बाधित व्यक्तियों को श्रवण यंत्रों (हीयरिंग एड्स) और अन्य प्रबंधन विकल्पों पर सलाह दे सके,
- श्रवण बाधित व्यक्तियों को सुनने का प्रशिक्षण (लिसनिंग ट्रेनिंग) प्रदान कर सके, और
- जो वाक एवं श्रवण सेवाओं के बारे में जनता के सदस्यों को शिक्षित कर सके और उन्हें उचित विशेषज्ञों के पास भेज (रेफर कर) सके।

3.3 पाठ्यक्रम की अवधि

पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष होगी, जिसे कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम तीन प्रयासों में पूरा किया जा सकता है।

3.4 छात्र संख्या

पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रवेश क्षमता अधिकतम 30 सीटें होंगी।

3.5 प्रवेश के लिए पात्रता

निम्नलिखित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र हैं:

- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित/कंप्यूटर विज्ञान में कुल 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

3.6 शिक्षा का माध्यम

अंग्रेजी/हिंदी या कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा।

3.7 उपस्थिति

प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाओं में न्यूनतम 90% और सैद्धांतिक (थ्योरी) कक्षाओं में 80% उपस्थिति अनिवार्य है।

3.8 परीक्षा

परीक्षाएं भारतीय पुनर्वास परिषद के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती हैं।

3.9 शुल्क संरचना

क्र. सं.	विवरण	कुल शुल्क (रुपये में)
1.	प्रवेश शुल्क (एक बार देय)	5,000
2.	शिक्षण शुल्क (प्रत्येक अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में देय)	15,000
3.	पुस्तकालय शुल्क (प्रत्येक अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में देय)	3,000
4.	कौशन मनी / जमानत राशि (पाठ्यक्रम के सफल समापन पर प्रतिदेय)	2,000
	कुल योग	**25,000**

***नोट:**

क) पंजीकरण/नामांकन/परीक्षा शुल्क आदि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल/आरसीआई (RCI), नई दिल्ली के मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त रूप से देय होंगे।

ख) छूट, वित्तीय लाभ और किसी भी अन्य शुल्क आदि मे बदलाव समय-समय पर संबंधित अधिकारियों / संस्थाओं एवं विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों के अधीन हैं।

3.10 चयन और प्रवेश के लिए पात्रता

आरसीआई (RCI), नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार (https://rehabcouncil.nic.in/)

4. इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में डिप्लोमा (DISLI) – 2 वर्ष

4.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के बारे में

भारत में पुनर्वास पेशेवरों की तीव्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मानव संसाधन का विकास करना भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत श्रवण दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी, सार्वजनिक परिवहन, मीडिया और समाचार आदि में भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) अनुवाद के माध्यम से सुगम्यता प्रदान करना अनिवार्य है।

4.2 DISLI पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- मूक-बधिर/कम सुनने वाले (डेफ/हार्ड ऑफ हियरिंग) व्यक्तियों और सुनने वाले समुदाय के बीच भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) अनुवाद में व्यावसायिक दक्षता विकसित करना।
- शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक परिवेश में सांकेतिक-से-वाणी (साइन-टू-वॉइस) और वाणी-से-सांकेतिक (वॉइस-टू-साइन) अनुवाद में मजबूत कौशल का निर्माण करना।
- प्रभावी अनुवाद के लिए आवश्यक मूक-बधिर संस्कृति (डेफ कल्चर), आचार संहिता और व्यावसायिक आचरण की समझ को बढ़ावा देना।
- स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सेवाओं के लिए प्रशिक्षित अनुवादकों (इंटरप्रिटर्स) को तैयार करना।
- मुख्यधारा के समाज में मूक-बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए संचार पहुंच और समावेशन को बढ़ाना।
- निरंतर व्यावसायिक विकास और आरसीआई (RCI) के दिशानिर्देशों तथा मानकों के अनुपालन को प्रोत्साहित करना।

4.3 रोजगार के अवसर

इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में डिप्लोमा (DISLI) को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, उत्तीर्ण छात्र विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) अनुवादक के रूप में रोजगार पा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र)
- अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र
- अदालतें, कानूनी सेवाएं और न्यायिक कार्यवाही
- सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक सेवा विभाग

- मीडिया, प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म
- सम्मेलन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सार्वजनिक कार्यक्रम
- गैर-सरकारी संगठन (NGO) और दिव्यांगता सहायता सेवाएं
- कॉर्पोरेट और कार्यस्थल सुगम्यता सेवाएं
- पेशेवर आईएसएल अनुवादकों के रूप में फ्रीलांस (स्वतंत्र) और स्व-रोजगार के अवसर

4.4 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की अवधि

पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष होगी।

4.5 प्रवेश क्षमता (सीटें)

पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रवेश क्षमता अधिकतम 30 सीटें होंगी।

4.6 पात्रता मानदंड

इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में डिप्लोमा (DISLI) में प्रवेश के लिए, एक उम्मीदवार को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (10+2) या समकक्ष योग्यता।

ख) प्रभावी सांकेतिक भाषा के उपयोग के लिए कार्यशील (सक्रिय) हाथ।

ग) कम से कम एक बोली जाने वाली भाषा में प्रवाह।

घ) सामान्य श्रवण क्षमता (सुनने की सामान्य सीमा)।

अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/दिव्यांगजन (PwD) और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण और छूट केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार लागू होगी, जैसा भी मामला हो।

4.7 शुल्क संरचना

पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का प्रति वर्ष शुल्क इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	प्रथम वर्ष शुल्क	द्वितीय वर्ष
1.	प्रवेश शुल्क (एक बार देय)	5,000	-
2.	शिक्षण शुल्क (प्रत्येक अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में देय)	15,000	15,000
3.	पुस्तकालय शुल्क (प्रत्येक अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में देय)	3,000	3,000
4.	कौशन मनी / जमानत राशि (पाठ्यक्रम के सफल समापन पर प्रतिदेय)	2,000	-
	कुल योग	**43,000**	

***नोट:**

क) पंजीकरण/नामांकन/परीक्षा शुल्क आदि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल/आरसीआई (RCI), नई दिल्ली के मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त रूप से देय होंगे।

ख) छूट, वित्तीय लाभ और किसी भी अन्य शुल्क आदि मे बदलाव समय-समय पर संबंधित अधिकारियों / संस्थाओं एवं विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों के अधीन हैं।

4.8 निर्देश का माध्यम

निर्देश का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा।

4.9 कार्यप्रणाली

पाठ्यक्रम की कार्यप्रणाली में व्याख्यान, प्रदर्शन, परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क), चर्चाएं, विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास परियोजनाओं का एक्सपोजर दौरा (भ्रमण), शिक्षण का अभ्यास, बैठकों, शिविरों और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भागीदारी शामिल है।

4.10 न्यूनतम उपस्थिति

अंतिम सेमेस्टर/वर्ष के अंत की परीक्षा (सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों) में बैठने के पात्र होने के लिए न्यूनतम अस्सी प्रतिशत (80%) उपस्थिति अनिवार्य है।

4.11 परीक्षा योजना (SoE)

पाठ्यक्रम/कार्यक्रम समय-समय पर आरसीआई (RCI) की परीक्षा योजना (SoE) का पालन करेगा।

4.12 चयन और प्रवेश के लिए पात्रता

आरसीआई (RCI) के दिशानिर्देशों के अनुसार (https://rehabcouncil.nic.in/)

प्रवेश के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों को काउंसलिंग का अवसर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को प्रवेश के समय अपने मूल प्रमाण पत्र (ओरिजनल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करने होंगे।

अन्य जानकारी

नियम एवं शर्तें

- चयनित उम्मीदवार एकमुश्त शुल्क जमा करके अपनी सीट सुरक्षित करेंगे।
- यदि उम्मीदवार ने एक बार पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया, तो उसे किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि कोई उम्मीदवार फिर भी किसी कारण से पाठ्यक्रम छोड़ना चाहता है, तो भुगतान किया गया कुल शुल्क और जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- जो छात्र अपर्याप्त उपस्थिति या अन्य अनुचित कारणों से पाठ्यक्रम के समापन पर प्रमाणन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके, वे भी किसी शुल्क या जमा राशि की वापसी (रिफंड) का दावा नहीं कर सकते।
- ये पूर्णकालिक (फुल-टाइम) पाठ्यक्रम हैं। इसलिए, छात्र को शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी अन्य पाठ्यक्रम या नौकरी को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

छात्रावास आवास

सी.आर.सी. (CRC), भोपाल में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

नैदानिक अनुभव

यह केंद्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में उल्लिखित सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है। लाभार्थियों के लिए आउटरीच (बाहरी पहुंच) परामर्श और शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। इस केंद्र में तीन शैक्षणिक विभाग हैं, अर्थात्: नैदानिक मनोविज्ञान (Clinical Psychology), वाक एवं श्रवण (Speech and Hearing), और विशेष शिक्षा (Special Education)। केंद्र में निम्नलिखित नैदानिक सेवाएं उपलब्ध हैं:

- क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (Cross Disability Early Intervention Centre)
- फिजियोथेरेपी विभाग (Physiotherapy Department)
- ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग (Occupational therapy Department)
- संवेदी-मोटर प्रशिक्षण पार्क (Sensory- motor training park)
- ओरिएंटेशन और मोबिलिटी प्रशिक्षण (Orientation and mobility training)
- प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक कार्यशाला (Prosthetic and orthotic workshop)
- ध्वनिरोधी ऑडियोमेट्री सुविधा (Soundproof audiometry facility)
- वाक चिकित्सा (स्पीच थेरेपी) सुविधा (Speech therapy facility)
- ईयर मोल्ड कार्यशाला (Ear mould workshop)
- अल्प दृष्टि (लो विजन) सेवाएं (Low vision services)
- मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सुविधा (Psychological assessment facility)
- व्यवहार संशोधन और अन्य मनोवैज्ञानिक चिकित्सा (Behaviour modification and other psychological therapy)
- सभी श्रेणियों के लिए विशेष शिक्षा सुविधा (Special education facility for all categories)
- व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण (Vocational/Skill Training)
- पुस्तकालय (Library)
- कंप्यूटर उपयोगिता (Computer utility)
- दृश्य-श्रव्य (ऑडियोविजुअल) उपकरण (Audiovisual equipment)
- समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation)

कर्मचारी/संकाय

केंद्र के कर्मचारियों में चिकित्सा, पैरामेडिकल, विशेष शिक्षा, वाक एवं श्रवण, नैदानिक मनोविज्ञान, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और पुनर्वास क्षेत्रों के संकाय सदस्य शामिल हैं। पुनर्वास पेशेवर जैसे कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक, वाक एवं भाषा चिकित्सक,

ऑक्यूपेशनल थेरेपी विशेषज्ञ, प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक इंस्ट्रक्टर उपलब्ध हैं। पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार अतिथि व्याख्यानों की व्यवस्था की जाती है। आवश्यकताओं के सहयोग के लिए प्रशासनिक कर्मचारी उपलब्ध हैं।

अनुशासन

छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के दौरान संकाय, कर्मचारियों, सहपाठियों, दिव्यांगजनों (PwDs) और दिव्यांग बच्चों (CwDs) के माता-पिता के साथ अनुशासन, निर्धारित पोशाक (यूनिफॉर्म), शालीनता, सम्मान और अच्छा आचरण बनाए रखना चाहिए। रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसमें संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी छात्र को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई और कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेते समय जमा करने वाले प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज

चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि/समय के भीतर पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में शामिल होना होगा। प्रवेश/जॉइनिंग के समय निम्नलिखित दस्तावेजों (फोटोकॉपियों) को जमा करना अनिवार्य है:

- अर्हता परीक्षा (qualifying examination) की अंक तालिका या समकक्ष प्रमाण पत्र
- एस.एस.सी. (SSC) की प्रति (जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में)
- 12वीं कक्षा/उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या समकक्ष की प्रति
- आचरण प्रमाण पत्र/स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) की प्रति
- श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS/PwD) प्रमाण पत्र की प्रति
- आधार कार्ड की प्रति [Aadhaar Card Redacted]
- सिविल सर्जन या किसी सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, जो उम्मीदवार के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रमाणित करता हो
- एक वचनपत्र (Undertaking) जिसमें यह उल्लेख हो कि उम्मीदवार पाठ्यक्रम को बीच में नहीं छोड़ेगा
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज।

प्रवेश के लिए:

श्री कुषुम कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक सी.आर.सी., भोपाल

(मो. **9301241993)** से संपर्क करें।